

2008
4-9-2023



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-MailID:nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax 0135 2767611

628
भारत 2023 INDIA

पत्रांक 200 / FP/UK/ROAD/15682/2015 : देहरादून: दिनांक 10 अगस्त, 2023,

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
बगेश्वर वन प्रभाग,
बगेश्वर।

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

पञ्जीकृत सं. 1283

संख्या 12-1-(2)

दिनांक 28/08/2023

विषय:-जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खतीगांव-नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र दिनांक-27.07.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है जिसमें बिन्दु संख्या-03 के क्रम में प्रेषित सूचना संतोषजनक नहीं है

अतः प्रश्नगत मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की संख्या का सही आगणन कर प्रमाण पत्र सहित स्पष्ट सूचना सम्बन्धित वन संरक्षक, के माध्यम से यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या:- 200 / FP/UK/ROAD/15682/2015:दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

R.No - 1283/12-1-(2) दि 28/08/2023

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि संख्या 1105
दिनांक 06/09/2023
शान्ति
फाइल संख्या 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें।
प्रमाण
40 प्रशा० अधिकारी

वरिष्ठ वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा

प्रति: आधिकारिक अधिनियम निम्नी
रवण लो. ०००० वि० कपकोट का
द्वारा आशय के प्रति कि बिन्दुओं के अन्त
में फोटा मों में आवश्यक कार्य वादी
क्या सुनिश्चय के

प्रति: आधिकारिक अधिनियम निम्नी
रवण लो. ०००० वि० कपकोट का
द्वारा आशय के प्रति कि बिन्दुओं के अन्त
में फोटा मों में आवश्यक कार्य वादी
क्या सुनिश्चय के

प्रति: आधिकारिक अधिनियम निम्नी
रवण लो. ०००० वि० कपकोट का
द्वारा आशय के प्रति कि बिन्दुओं के अन्त
में फोटा मों में आवश्यक कार्य वादी
क्या सुनिश्चय के